CDD-T-6

शपथ–पत्र

मैं ....
पुत्र श्री ....
निवास (स्थायी पता) ....
....
....
(अस्थायी / स्थानीय पता) ....
....
....का निवासी हूँ।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाय।

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ।

1. मैं गन्ना विकास विभाग / लोक निर्माण विभाग का ए / बी / सी / डी श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार हूँ / नहीं हूँ। (विभाग द्वारा निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय) मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है और व्यवसायिक रूप से मैं गन्ना विकास विभाग के कार्यो को पूरा करने के लिये सक्षम और समर्थ हूँ। मेरे पास आवश्यक मशीनें और उपकरण आदि भी हैं तथा मुझे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।
2. गन्ना विकास विभाग द्वारा जो (कार्य का विवरण लिखा जाय).. कराने की निविदा निर्गत की गयी है उसके लिये मैं विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निविदा भर रहा हूँ।
3. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाण–पत्र (चरित्र प्रमाण–पत्र / हैसियत प्रमाण–पत्र / आयकर प्रमाण–पत्र / व्यापार कर प्रमाण–पत्र / बीड सेक्योरिटी प्रमाण–पत्र / बीड कैपिसिटी प्रमाण–पत्र / जमानत धनराशि आदि का प्रमाण–पत्र) तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि मूलरूप में निविदा पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
4. मेरा पैन नं0 ....है। (आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय)
5. मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है। यहॉ पूरा विवरण दिया जाय।
   1. मुकदमा नम्बर ....
   2. धारायें ....
   3. थाना ....
   4. जनपद ....
   5. न्यायालय (जहॉ मुकदमा चल रहा है) ....
6. मैं गन्ना विकास विभाग / लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यो आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधी नहीं हूँ। मेरा चाल–चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है।
7. मेरे विरूद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।
8. मैं बार कौंसिल का सदस्य नहीं हूँ।
9. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात मेरे विरूद्ध माफिया गतिविधियों / असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका / अनुबन्ध निरस्त कर दें। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग / राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।
10. मैं अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार समय से, पूरी गुणवत्ता के साथ–साथ निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।
11. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।
12. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थायी पता और अस्थायी पता निम्न प्रकार है :–
    (अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित)...

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित)..

(यहॉ पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड सहित लिखा जाय)

13. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूॅं कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूॅं तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना मैं तत्काल मंत्री गन्ना विकास परिषद..... ..../सचिव सह0 गन्ना0 समिति लि0....................../जिला गन्ना अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर को दूंगा।

14. मैं यह भी घोषणा करता हूॅं कि विभाग के जिस कार्य के लिये मेरे द्वारा ठेका लिया जा रहा है उसके सापेक्ष चल एवं अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (जनपद का नाम लिखा जाय)..द्वारा प्राप्त करके मूल प्रति संलग्न किया जा रहा है। यह भी घोषणा करता हूॅं कि इस हैसियत प्रमाण–पत्र का उपयोग अन्य कार्यो के लिये नहीं किया जायेगा।

15. मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो–हवास में, स्वस्थ चित्त से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ–पत्र लिखकर दे रहा हूॅं। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक..

शपथी का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम...

पता ....

....

नोट :– 1–यह स्व घोषणा शपथ–पत्र रू0 100/– (रू0. एक सौ) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुये दिया जायेगा।

2–असत्य शपथ–पत्र देना एक संगीन और संज्ञेय अपराध है।

3–संबंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साईज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, शपथ–पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।